


कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर

सेवा समाप्ति आदेश

प्रारूप-6 परिशिष्ट 'अ'

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

- 1- श्री गुलाब सिंह प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय कनवारी-रतनगढ़(चूरू) के रूप में कार्यरत थे जिनकी जन्मतिथि 01.07.60 है, जिनका दिनांक-03.05.2016 को राज्य सेवा में रहते निधन हो गया है। अतः श्री गुलाब सिंह प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय कनवारी-रतनगढ़(चूरू) की सेवाएँ दिनांक 03.05.16 से समाप्त की जाती हैं।
- 2- यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री गुलाब सिंह प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय कनवारी-रतनगढ़(चूरू) विरुद्ध आज तक:-
 - 1- राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम 16 व 17 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
 - 2- राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
 - 3- कोई न्यायिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।



(बी.एल.स्वर्णकार)

आईएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक- 10-6-16


- क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/ए-2/गुलाबसिंह/से.स./16
प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
- 1- संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग, बीकानेर।
 - 3- उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा, चूरू।
 - 4- जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, चूरू।
 - 5- सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग।
 - 6- अनुभाग अधिकारी विभागीय जांच/वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन अनुभाग।
 - 7- आश्रित श्री गुलाब सिंह प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय कनवारी-रतनगढ़(चूरू)
 - 8- प्रभारी- संस्थापन बी-1/3 प्रभाग
 - 9- निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर

:: आदेश ::

श्री प्रेम नारायण आचार्य, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोखराना (बीकानेर) जन्मतिथि 22.09.56 का दिनांक 26.05.2016 को राज्य सेवा में रहते हुए स्वर्गवास हो गया है। अतः श्री प्रेम नारायण आचार्य, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोखराना (बीकानेर) की राज्य सेवाएँ दिनांक 26.05.2016 से समाप्त की जाती है।


(बी.एल.स्वर्णकार)


आईएस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/ए-2/प्रेमनारायण/सेस/2016

दिनांक- 9-6-16

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- संयुक्त निदेशक पेंशन व पेशन कल्याण विभाग, बीकानेर।
- 2- उपनिदेशक (माध्यमिक) बीकानेर।
- 3- जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि श्री आचार्य का राजपत्रित सेवाकाल 03 पावर सहित प्रमाणित कर भिजवावे।
- 4- प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोखराना (बीकानेर)।
- 5- सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय साईट पर अपलोड हेतु।
- 6- अनुभाग अधिकारी विभागीय जाँच/वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन अनुभाग।
- 7- आश्रित श्री प्रेम नारायण आचार्य, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोखराना (बीकानेर)
- 9- प्रभारी- संस्थापन बी-1/3 प्रभाग
- 10- निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

कार्यालय आदेश

श्री प्रकाश चन्द व्याख्याता (वाणिज्य), राउमावि नदबई (भरतपुर) जन्म तिथि- 10.12.1957 का निधन दिनांक- 03.05.2016 को हो चुका है। अतः श्री प्रकाश चन्द की सेवायें दिनांक- 03.05.2016 से समाप्त की जाती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(बी.एल. स्वर्णकार)


आईएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक - शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/31854/सेवासमाप्ति/11
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- (1) निदेशक पेंशन विभाग, जयपुर
- (2) संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, भरतपुर
- (3) उपनिदेशक(माध्यमिक) शिक्षा विभाग, भरतपुर
- (4) जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) भरतपुर
- (5) प्रधानाचार्य, राउमावि, नदबई (भरतपुर) को अतिरिक्त प्रति के साथ पाबंद किया जाता है कि संबंधित कार्मिक के उत्तराधिकारी को प्रति उपलब्ध करा पावती भिजवावें।
- (6) अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/दि.जांच/सीओएसी प्रभाग।
- (7) निजी/रक्षित पत्रावली।

दिनांक:- 09/06/2016



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर